10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दस रुपये TEN

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

मानतीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग | 3432 | II | 15

प्र. क्र. /2015/निगरानी

1-लछुआ

2-हरदास पुत्रगण दरउवा निवासीगण

ग्राम वीरउ तहसील लिधौरा जिला

टीकमगढ़ म0प्र0

....प्रार्थीगण

श्री ओ.पी. शर्मा एड. द्वारा आज दि. 23-10-15 को प्रस्तुत

23-10-15

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

O.P. Sharma Adv.

23-10-2015

बनाम

म0प्र0 शासन .....प्रतिप्रार्थी

प्रार्थनापत्र निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील लिधौरा पारित आदेश दिनांक 10.1.2015 प्र.क्र. 3/अ-3/2014-15 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू. रा. संहिता 1959केतहत

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना निम्न आधारो पर प्रस्तुत है-

1- यह कि विचारण न्यायालय का आदेश प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है-

2- यह कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 1806/3,1806/4 रकबा 0.500, 0.500 हे. स्थित ग्राम वीरउ तहसील लिधौरा का कब्जे एवं स्वत्व अनुसार कराये जाने हेतु आवेदन पत्र पर से राजस्व नि. लिधौरा द्वारा सरहदी कृषको को विधिवत सूचना देकर मौके पर कब्जा अनुसार आवेदित भूमि की तरमीन कर प्रस्तावित नक्शा सहित प्रतिवेदन पेश करने हेतु आदेशित किया उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3432–2/2015 **जिला** टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश लछुआ/शासन	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–12–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री ओ0पी0 शर्मा उपस्थित । शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया कि राजस्व अभिलेखों को सही एवं अद्यतन रखना तहसीलदार की जिम्मेदारी है। शासकीय अधिवक्ता ने बिलम्ब के आधार पर आवेदन खारिज करने की मांग की। इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं, जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों की निगरानी मेमो के संलग्न छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि सर्वे कमांक 1806/3, 4 की तरमीम पहले हुई थी, इस कारणवश पटवारी द्वारा कब्जे एवं स्वत्व के आधार पर दिए गये तर्मीम संशोधन के प्रस्ताव को तहसीलदार ने यह विधिक आधार लेते हुए कि उन्हें तर्मीम संशोधन का अधिकार नहीं हैं, प्रकरण अधिकार क्षेत्र के बाहर होने से संशोधित तर्मीम प्रस्ताव खारिज किए जाने का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार का यह आदेश विधि अनुकूल होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही हैं। उपरोक्त स्थिति में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य	